

कार्यालय :: खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द सहारनपुर ।

पत्रांक 1477 / निविदा / 2016-17

दिनांक- 11/4/16

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है । कार्यो के लिये जनपद सहारनपुर के विभिन्न शासकीय निर्माण विभागो में पंजीकृत टेकेदार ही निविदा डालने के योग्य होंगे।


2- सविदा आमत्रण का विवरण निम्न प्रकार है ।


क्र०	जनपद	कार्य का नाम एवं प्रकृति	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा पत्र मूल्य	कार्य करने की अवधि	सक्षम अधिकारी का पदनाम
2	3	4	5	6	7	8	
	सहारनपुर	विकास खण्ड मुख्यालय देवबन्द पर कार्यालय भवन की मरम्मत सौन्दर्यी करण व फर्श निर्माण कार्य	506700	10140	100	3माह	खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द
		विकास खण्ड मुख्यालय देवबन्द पर फ्रंट की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	649200	12990	100	3माह	
		ग्राम नूरपुर में सरस्वती शिशु मन्दिर से श्री गुलाब सिंह के मकान की ओर खडन्जा व नाली निमाण कार्य।	453500	9070	100	3माह	
		ग्राम कुरडी में खाले के पुल से प्रमोद के ट्यूबवैल की ओर खडन्जा निर्माण	853300	17070	100	3माह	
		ग्राम जडोदा जट्ट में रवि के भट्टे के सामने रामभूल के खेत की ओर खडन्जा निर्माण	432000	8640	100	3माह	
		ग्राम रसूलपुर टॉक में सडक से शमशान घाट की ओर खडन्जा निर्माण कार्य	511600	10240	100	3माह	

3-निविदा प्रपत्र कार्य दिवसो में दिनांक-12.4.2016 प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक निर्धारित शुल्क अंकन 100 रू0 जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है । निविदा का विवरण खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द सहारनपुर , के कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक-12.4.2016 को 11 बजे से दिनांक-25.4.2016 अपरान्ह 2:00 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है । 4-निविदा की वैधता निविदा खुलने के दिन से 90 दिन के लिये होगी। प्राप्ति के बाद निविदा को वापिस नही लिया जा सकता है । 5-निविदा प्रपत्र खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द, के कार्यालय में दिनांक-27.4.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा की जा सकती है ।

6. प्राप्त निविदायें निविदादाताओं की उपस्थिति में दिनांक-27.4.2016 को अपराह्न 4 बजे खोली जायेगी। स्थल एवं खोलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7-निविदा के साथ निर्धारित धरोहर नगद धनराशि/शेड्यूल बैंक ड्राफ्ट /डाकधर बचत खाता/एन0एस0सी0 के रूप में सलग्न होनी चाहिये जो कि खण्ड विकास अधिकारी देवबन्द के पक्ष में बन्धक होगी। 8-निविदा दाता का कोई सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी लेखाकार के रूप में कार्यरत हो अथवा अवर अभियन्ता दोनो को सम्मिलित करते हुये पद पर हो, डालने के योग्य नहीं होंगे। निविदादाता द्वारा शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उनके सम्बन्धियों का नाम अथवा उनके पदनाम का उल्लेख होगा जो कि विकास खण्ड में कार्यरत हो। 9- कोई भी राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हो। सेवा निवृत्ति की अवधि के दो वर्ष बाद तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदार के काम के लिये प्रतिबन्धित रहेगा। यदि उसने सरकार से अनुमति लिये बिना ठेकेदारी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तो अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। 10-कोई भी निविदादाता राज्य विधि कोलिजियम में पंजीकृत हो, निविदा डालने के योग्य नहीं होगा। 11-निविदा दाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी में कार्य की प्रतिशत दर अंकित करनी होगी। 12-निविदा दाता द्वारा सभी सूचना/डॉक्यूमेन्ट निर्धारित पत्र के साथ दिये जायेगे। 13-सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। 14-निविदा नोटिस [www.sre.nic.com](http://www.sre.nic.com) पर लोडिंग हेतु भेजी जा रही है। निविदा को स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का होगा।


W. I. W. SAHARANPUR, N.I.C. I.N

  
खण्ड विकास अधिकारी  
देवबन्द, सहारनपुर।



प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सहायक सूचना निदेशक जन सम्पर्क विभाग सहारनपुर।
- 2-जिलाधिकारी सहारनपुर।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर।
- 4-प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त निविदा को वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
- 5-अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6-अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विकास खण्ड देवबन्द।
- 7-समस्त उपजिलाधिकारी, तहसील देवबन्द, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन देवबन्द जनपद सहारनपुर की सेवा में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

  
खण्ड विकास अधिकारी  
देवबन्द, सहारनपुर।

